जयंत सिंह की शिक्षा संकल्प व जन आभार रैली स्थागित

शामली के गांव काबड़ौत में 10 जून को होनी थी रैली

● जनवाणी संवाददाता, शामली

राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्यमंत्री चौधरी जयंत सिंह की गांव काबड़ौत में 10 जून को होने वाली शिक्षा संकल्प एवं जन आभार रैली स्थगित कर दी गई है।

रालोद के शामली जिलाध्यक्ष चौधरी वाजिद अली ने प्रेसनोट जारी करते हुए बताया कि रैली स्थगित करने का कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें जयंत चौधरी की उपस्थिति आवश्यक है। इसी कारण पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में परिवर्तन किया गया है। इस रैली को लेकर रालोद के विधायकों के साथ ही रालोद के पदाधिकारी, कार्यकर्ता पिछले दस दिनों से लगातार जनसंपर्ककर रहे हैं। साथ ही युवाओं, किसानों और आमजन में भी उत्साह था।

छत तोड़ने का विरोध करने पर महिला को पीटा

कैराना (जनवाणी): गांव बुच्चाखेड़ी निवासी अंजली ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई कि शनिवार की शाम करीब 6 बजे उसके देवर नवाब, सास कमला तथा पदम ने मिलकर उसके मकान की छत तोड़ दी। विरोध करने पर तीनों ने उसके साथ मारपीट की, जिससे उसे चोटें आईं। आरोप है कि आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर नवाब, कमला और पदम के खिलाफ संबंधित धाराओं में रिपोर्ट की दर्ज कर ली।

विभाग का वसूली अभियान तेज, एक दर्जन कनेक्शन काटे

चौसाना (जनवाणी): बिजली विभाग ने सोमवार को बकाया बिजली बिलों की वसूली के लिए विशेष अभियान चलाया। टीजी-2 रंजीत कुमार और जेई आजम अकबर के नेतृत्व में गांव पठानपुरा व भड़ी मुस्तफाबाद में कार्रवाई करते हुए 20 हजार रुपए से अधिक बकाया रखने वाले करीब एक दर्जन उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काट दिए गए। विभागीय कार्रवाई से बकायदारों में हड़कंप मच गया अभियान के दौरान विभागीय टीम ने उपभोक्ताओं से बकाया बिल जमा करने की अपील की। पठानपुरा में करीब 50 हजार रुपये तथा भड़ी मुस्तफाबाद में भी लगभग 50 हजार रुपये की वसूली की गई। कई उपभोक्ताओं ने कनेक्शन कटने से बचने के लिए मौके पर ही अपने बकाया बिल जमा कर दिए। जेई आजम अकबर ने बताया कि राजस्व वसूली को लेकर विभाग का अभियान लगातार जारी है। उन्होंने कहा कि बकाया बिल जमा न करने वाले उपभोक्ताओं के विरुद्ध आगे भी कनेक्शन विच्छेदन की कार्रवाई की जाएगी। सोमवार को विभिन्न गांवों में चलाए गए अभियान के दौरान कुल मिलाकर डेढ़ लाख रुपये से अधिक की राशि बिजली बिल के रूप में जमा कराई गई।

मजदूरी के पैसे मांगने पर दिव्यांग के साथ मारपीट

थानाभवन (जनवाणी): गांव गौसगढ़ निवासी रेखा पत्नी अरविंद ने पुलिस को तहरीर में बताया कि उसके पति की मजदूरी के पैसे गांव के ही टीटू उर्फ श्याम सिंह पुत्र कवल सिंह के पास थे। आरोप है कि जब उसके पति पैसे लेने गए तो आरोपी ने पैसे देने से इनकार कर दिया और उल्टा उनसे पैसे मांगने लगा। इसी बात को लेकर विवाद हो गया। महिला का आरोप है कि विवाद के दौरान आरोपी ने उसके पति और उसके साथ मारपीट की, जिससे दोनों को चोटें आईं। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी उसके दिव्यांग पति को जान से मारने की धमकी देता है तथा गाली-गलौज करता है। पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

इस्लामी नाम बदलने को सौंपा ज्ञापन

ऊन (जनवाणी): श्री सनातन हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने देश की आजादी के बाद भी जिन गांवों व कस्बो के नाम इस्लामी आधार पर रखे गए हैं उन नाम को बदलने की मांग को लेकर तहसील में प्रदर्शन किया तथा सभी नाम को बदलकर सनातन संस्कृति के अनुसार रखने की मांग की। इस संबंध में राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन उपजिला अधिकारी विनय प्रताप भदोरिया को सोपा गया। ज्ञापन देने वालों में राष्ट्रीय अध्यक्ष रन कुमार, मदन शर्मा, पवन गिरी, राजीव शर्मा, नितिन कुमार, पंकज कुमार, नरेश सैनी, उपेन्द्र कुमार आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे।

दो अलग-अलग मामलों में दो दोषियों को सुनाई सजा

कैराना (जनवाणी): न्यायालय ने दो अलग-अलग मामलों में दो दोषियों को सजा सुनाई। 2004 में थाना कांधला थाने पर राजकुमार निवासी गांव जसाला के विरुद्ध मारपीट और धमकी देने के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था। सोमवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोषी को न्यायालय उठने तक के कारावास और 2000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। दूसरे मामले में 2005 में थाना कांधला पर काला निवासी गांव घसौली थाना कांधला के विरुद्ध गोवधन अधिनियम और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। सोमवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोषी को जेल में बिताई अवधि 11 दिन के कारावास और 2550 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

जनसमस्याओं के निस्तारण में कोताही न बरती जाएं

सीडीओ डॉ. ललित नारायण मिश्र की अध्यक्षता में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम

● जनवाणी संवाददाता, हरिद्वार

जनपदवासियों की समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में मुख्य विकास अधिकारी डॉ ललित नारायण मिश्र की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों से संबंधित 85 शिकायते/ समस्याएं दर्ज कराई गई जिसमें से 43 समस्याओं का मौके पर निराकरण किया गया शेष समस्याओं को निस्तारण हेतु संबंधित विभागों को प्रेषित किया गया।

जनसुनवाई कार्यक्रम में राजस्व, भूमि विवाद,विद्युत,अतिक्रमण,जल भराव, पेयजल,राशन कार्ड आदि से संबंधित समस्या दर्ज कराई गई। जनसुनवाई कार्यक्रम में शिकायतकर्ता ग्राम पंचायत थिथौला खेमपुर के ग्राम प्रधान श्रीमती सना ने ग्राम पंचायत थिथौला खेमपुर की भूमि से अवैध कब्जा हटवाने को लेकर एवं ग्राम में नियमित सफाई करवाने को लेकर प्रार्थना पत्र दिया।प्रार्थी अंबेडकर वाहिनी संगठन रजि के अध्यक्ष संदीप कुमार ने अम्बेडकर पार्क हेतु आरक्षित भूमि से अवैध कब्जा हटाने एवं कब्जाधारी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया।प्रार्थी बिजेन्दर सिंह निवासी सहदेवपुर ने धारा 157 क के अंतर्गत भूमि विक्रय की अनुमति प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र दिया। प्रार्थी पोपीन निवासी शिवदासपुर ने विधानसभा ज्वालापुर में शिवदासपुर उर्फ तेलीवाला गांव में 2023-24 में नाले का निर्माण हो गया है, लेकिन रोड क्रॉसिंग हेतु पाइप का निर्माण कार्य अभी तक नहीं हुआ है,जिस कारण गांव में जलभराव की समस्या हो रही है,जल्द से जल्द रोड क्रॉसिंग कर पाइप डालने को लेकर प्रार्थना पत्र दिया। शिकायतकर्ता सुचरिता सचदेवा ने जमीन प्लॉट खरीदारी में प्लॉट का क्षेत्रफल कम होने पर पैमाईश करवाने को लेकर प्रार्थना पत्र दिया।प्रार्थी शाहजहा पुत्र जमील की कृषि भूमि खसरा संख्या 294,खाता संख्या 406 में स्थित है।उक्त भूमि पर जाने के लिए निर्धारित चक्ररोड है,जिसे कुछ लोगों ने अवैध रूप से बंद कर दिया है, चक्ररोड खुलवाने को लेकर प्रार्थना पत्र दिया। प्रार्थी समस्त शिवगंगा बिहार कालोनी ग्राम दादूपुर गोविंदपुर ओर सुमन नगर क्षेत्र के आसपास बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। सदस्य क्षेत्र पंचायत भगतनपुर आबिदपुर प्रथम के मु.शेर आलम ने ग्राम पंचायत भगतनपुर आबिदपुर गांव ईक्कड़ खुर्द में शरीफ के मकान से लक्सर वाली रोड को जोड़ने वाली मार्ग के दोनों तरफ नालों की सफाई के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया।शिकायतकर्ता पंकज कुमार ने ग्राम रोहलकी किशनपुर में ग्राम सभा भूमि पर पड़े कूड़े,कचरा एवं अवैध गोबर के खत्ते हटवाने हेतु प्रार्थना पत्र दिया

मुख्य विकास अधिकारी डॉ ललित नारायण मिश्र ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जनसुनवाई में जनता द्वारा जो भी समस्याएं दर्ज कराई जा रही है उन समस्याओं को त्वरित एवं समयबद्धता के साथ निराकरण करना सुनिश्चित करे,इसमें किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही एवं शिथिलता नहीं बरती जानी चाहिए, शिथिलता बरती जाने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक करवाई सुनिश्चित की जाएगी।उन्होंने यह भी निर्देश दिए है कि जिन शिकायतों पर स्थलीय निरीक्षण किया जाना है संबंधित अधिकारी आपसी समन्वय के साथ स्थलीय निरीक्षण कर समस्या का समाधान करना सुनाश्चित करे। मुख्य विकास अधिकारी ने सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जनसुनवाई कार्यक्रम में क्षेत्रवासियों द्वारा जो भी समस्या दर्ज कराई जा रही है,उनका संबंधित अधिकारी शीर्ष प्राथमिकता एवं संवेदनशीलता के साथ निस्तारण करना सुनाश्चित करे। बैठक में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में जनपद में चल रही हरित हरिद्वार मुहिम को सफल बनाने के उद्देश्य से आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान एक सराहनीय पहल की गई। कार्यक्रम में उपस्थित फरियादियों को वन विभाग के सहयोग से रेंज अधिकारी शीशपाल सिंह ने फलदार सौ पौधों का वितरण किया गया।जिसमें आम,अमरूद, आंवला एवं जामुन आदि के पौधे थे।

सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों का निस्तारण करें अधिकारी

बैठक में सीएम हेल्पलाइन में दर्ज समस्याओं की समीक्षा करते हुए मुख्य विकास अधिकारी डॉ ललित नारायण मिश्र ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए है कि सीएम हेल्प लाइन में जो भी शिकायते दर्ज की जा रही है,उनको सभी अधिकारी संवेदनशीलता के साथ निरंकरण करना सुनिश्चित करे,उन्होंने निर्देश दिए है कि 36 दिन से अधिक जो भी शिकायते लंबित है उनका निराकरण तत्परता से करना सुनिश्चित करे। जिसमें एल 1 पर 524 शिकायतें तथा एल 2 पर 128 शिकायतें निस्तारण हेतु लंबित है,जिन्हें शीघ्र निस्तारण के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए साथ ही शिकायतकर्ता से सिस्टम के माध्यम से फोन पर वार्ता करे। बैठक मे अपर जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ आर के सिंह,परियोजना निर्देशक नलिनीत घिल्डियाल,जिला विकास अधिकारी वेदप्रकाश, जिला अर्थ संख्या आधिकारी नलिनी ध्यानी,जिला पूर्ति अधिकारी मुकेश पाल, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी मीरा रावत, जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) अमित कुमार चन्द,सहायक श्रम आयुक्त प्रशांत कुमार,अधिशासी अभियंता सिंचाई ओमजी गुप्ता,आर एम सिडकुल कमल किशोर स्वजल नोडल चंद्रकांत मणि त्रिपाठी, परियोजना अधिकारी उरेडा युद्धवीर सिंह बिष्ट,जिला स्तरीय सम्बन्धित अधिकारी एवं विभिन्न क्षेत्रों से आए फरियादी मौजूद रहे।

पुरानी रंजिश में घर से बुलाकर पीटा

कैराना (जनवाणी): नगर के मौहल्ला बिसातियान निवासी कलीम अहमद ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई कि शनिवार को शमशाद के बुलावे पर वह अपने साथियों के साथ राजनगर पहुंचे थे। आरोप है कि वहां पहले से मौजूद शमशाद, इमरान, रूजू, शोएब तथा अन्य लोगों ने पुरानी बात को लेकर गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर आरोपियों ने लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से हमला कर दिया। जिससे उसे तथा उसके साथी आबिद, फारूक तथा अन्य लोगों को गंभीर चोटें आईं। शोर-शराबा होने पर आसपास के लोग मौके पर आए तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए सरकारी अस्पताल पहुंचाया। मामले में पुलिस ने शमशाद, इमरान, रूजू, शोएब तथा एक अज्ञात आरोपी के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

जमीनी विवाद में चार महिलाएं भेजी जेल

थानाभवन (जनवाणी): गांव निवासी धर्मवीर सिंह, धीर सिंह तथा अमीचंद, मदनलाल दोनों पक्षों के बीच एक प्लॉट को लेकर लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। इस मामले को लेकर पहले भी कई बार कहासुनी और मारपीट की घटनाएं हो चुकी हैं तथा मामला न्यायालय में विचाराधीन है। बताया जाता है कि दोनों पक्षों के पुरुष सदस्य मौके पर मौजूद नहीं थे। इसी दौरान दोनों पक्षों की महिलाओं के बीच कहासुनी के बाद मारपीट हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच की। थाना प्रभारी निरीक्षक बिजेंद्र सिंह रावत ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से जमीनी विवाद चल रहा है। रविवार को महिलाओं के बीच मारपीट होने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शांति व्यवस्था बनाने के लिए एक पक्ष की एक महिला तथा दूसरे पक्ष की तीन महिलाओं को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

स्मार्ट मीटर के नाम पर हो रहा उपभोक्ताओं का उत्पीड़नः आनंद

● जनवाणी संवाददाता, लक्सर

पूर्व राज्य मंत्री रविंद्र सिंह आनंद ने कहा कि स्मार्ट मीटर के नाम पर सरकार आमजन और किसानों का उत्पीड़न कर रही है। पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने और विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को पूंजीपतियों को सौंपने के लिए स्मार्ट मीटर का खेल खेला जा रहा है। उन्होंने स्मार्ट मीटर पर प्रतिबंध लगाए और और उपभोक्ताओं के बकाया बिलों पर सरचार्ज माफ किए जाने की मांग करते हुए कहा कि जनता का उत्पीड़न बंद नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। लक्सर में आयोजित प्रेस वार्ता में पूर्व राज्यमंत्री रविंद्र सिंह आनंद ने कहा कि मुख्यमंत्री ने स्वयं लक्सर में आपदा प्रभावितों के तीन माह के बिजली बिल माफ किए जाने की घोषणा की थी। लेकिन बिल माफी के बजाय उनसे सरचार्ज वसूला जा रहा है। इसके लिए कनेक्शन काटने की कार्रवाई कर लोगों को परेशान किया जा रहा है। कहा कि लक्सर, हरिद्वार और पूरे उत्तराखंड का किसान आज आर्थिक संकट से जूझ रहा है। किसान एक तरफ प्राकृतिक आपदाओं, अनियमित बारिश, सूखा, बाढ़, जंगली जानवरों और बढ़ती खेती लागत से परेशान है, वहीं दूसरी तरफ बिजली के बढ़ते बिलों ने उसकी कमर तोड़ दी है। खेती पहले ही घाटे का सौदा बन चुकी है और सरकार राहत देने के बजाय किसानों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल रही है। उन्होंने कहा कि हरिद्वार जनपद का किसान प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। गन्ना, धान, गेहूं और अन्य फसलों का उत्पादन करने वाले किसानों को सरकार सम्मान और राहत देने के बजाय केवल घोषणाओं का सहारा दे रही है। चुनाव के समय किसानों को बड़े-बड़े सपने दिखाए जाते हैं, लेकिन चुनाव समाप्त होते ही उनकी समस्याओं को भुला दिया जाता है।बिजली के बिल, सरचार्ज और अन्य शुल्कों ने किसानों को कर्ज और आर्थिक संकट की ओर धकेल दिया है। गांवों में हजारों परिवार ऐसे हैं जो समय पर बिल जमा नहीं कर पा रहे हैं। सरकार यदि वास्तव में किसान हितैषी है तो उसे तुरंत किसानों के तीन माह के बिजली बिल माफ करने, सरचार्ज समाप्त करने तथा कृषि विद्युत दरों में विशेष राहत देने की घोषणा करनी चाहिए।

बस न मिलने पर अभ्यर्थियों ने लगाया सांकेतिक जाम

शामली(जनवाणी): उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों को समय पर बस सुविधा न मिलने पर परेशानी का सामना करना पड़ा। नाराज अभ्यर्थियों ने रोडवेज बस स्टैंड के बाहर हंगामा करते हुए सांकेतिक जाम लगाकर प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।

अभ्यर्थियों का आरोप था कि परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के लिए पर्याप्त संख्या में बसें उपलब्ध नहीं कराई गईं, जिससे उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ा। बसों की कमी के कारण कई अभ्यर्थियों में परीक्षा छूटने की चिंता भी बनी रही। इस दौरान बड़ी संख्या में अभ्यर्थी हाईवे पर एकत्र हो गए और सांकेतिक जाम लगाकर अपनी नाराजगी जताई।

कार्यालय महाप्रबन्धक (जल), नगर निगम, सहारनपुर।

पत्रांक 229 /ज0क0/न0नि0 सहा0/ 2026-27 दिनांक 08/06/2026

-:ई- निविदा सूचना:-

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि, नगर निगग सहारनपुर क्षेत्रान्तर्गत 15वां वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/ निगम निधि से प्राप्त धनराशि के अन्तर्गत 15 कार्य हेतु अनुभवी एवं योग्यता धारी फर्मों/ठेकेदारों से दिनांक 16-06-2026 को अपरान्हः 3:00 बजे तक वेबसाइट etender.up.nic.in पर ऑनलाईन के माध्यम से डबल बिड सिस्टम (टेक्निकल / फाईनेन्शल) निविदा आमन्त्रित की जाती है। सभी निविदाये समस्त अभिलेख वेवसाइट etender.up.nic.in पर दिनांक 09-06-2026 से दिनांक 16-06-2026 को अपरान्हः 03:00 बजे तक उपलब्ध रहेगे, जहाँ से इसे डाउनलोड किया जा सकता है तथा ठेकेदार दिनांक 16-06-2026 को अपरान्हः 3:00 बजे तक वेबसाइट etender.up.nic.in पर ऑनलाईन अपनी निविदा दरें डाल सकते है, टेण्डर मूल्य एवं धरोहर राशि ऑनलाईन के माध्यम से वेवसाइट etender.up.nic.in पर ही देय होगी। निविदा के साथ पैन नम्बर, जी०एस०टी०, वांछित धनराशि का हैसियत प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र, यू०पी० इलैक्ट्रोनिक्स कापोरेशन लि० लखनऊ के पंजीकरण की छायाप्रति, शपथ पत्र, तथा निविदा प्रपत्र में उल्लेखित शर्तों में मांगे गये अन्य समस्त प्रपत्र अन्य आवश्यक अभिलेख निविदादाता को ऑनलाइन टेक्निकल बिड में स्वप्रमाणित प्रपत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। स्वप्रमाणित प्रपत्र अपलोड न करने की दशा में निविदा निरस्त कर दी जायेगी, जिस हेतु कोई क्लैम मान्य नही होगा। दिनांक 16-06-2026 को सायं 04:00 बजे निविदा समिति द्वारा उक्त कार्य की टेक्निकल विड खोली जायेगी। टेक्निकल निविदा में क्वालीफाई करने वाले ठेकेदारो की ही फाईनेन्सियल विड खोली जायेगी। किसी भी निविदा को नियमानुसार स्वीकृत / अस्वीकृत करने का अधिकार नगर आयुक्त नगर निगम सहारनपुर में निहित है। कार्यों का विवरण एवं शर्ते निम्न प्रकार है :-

E-bid Referance	पत्रांक दिनांक
Publish Date and time for RFP	दिनांक 09.06.2026 से
Last Date time for submission of E-Bids	दिनांक 16.06.2026 को अपरान्ह 3.00 बजे तक
Date and time of Technical opening bids	दिनांक 16.06.2026 को सायं 04.00 बजे
Place of opening of E- bids	JalKal Vibhag, Nagar nigam Saharanpur
E-Bids security of E- bids	As per tender notice/ RFP
E-tender Document processing Fee	As per tender notice/ RFP

नोट- बिना अग्रिम जमा धनराशि/ टेण्डर मूल्य के किसी भी निविदा पर विचार नही किया जायेगा।

महाप्रबन्धक (जल), सहारनपुर नगर निगम।

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR AN INFORMATION PURPOSE ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT. THIS DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. THIS PUBLIC ANNOUNCEMENT IS NOT INTENDED FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA.

PUBLIC ANNOUNCEMENT

HORIZON RECLAIM (INDIA) LIMITED

(Formerly known as Horizon Reclaim (India) Private Limited)

CIN: U22199UP2006PLC032294

Our Company was originally incorporated as 'Horizon Reclaim (India) Private Limited' as a Private Limited Company under the Companies Act, 1956 at Saharanpur, pursuant to a certificate of incorporation dated August 21, 2006, issued by the Registrar of Companies, Uttar Pradesh and Uttranchal ("RoC"). Thereafter, name of our Company was changed from 'Horizon Reclaim (India) Private Limited' to 'Horizon Reclaim (India) Limited', consequent to conversion of our Company from private to public company, pursuant to a special resolution passed by the shareholders of our Company on April 15, 2025 and a fresh certificate of incorporation consequent to change of name was issued by the Registrar of Companies, Central Processing Centre on May 06, 2025. Our Company's Corporate Identity Number is U22199UP2006PLC032294. For details of change in Registered office of our Company, please refer to the chapter titled "History and Certain Corporate Matters" on page 147 of the Red Herring Prospectus.

Registered Office: Khasra no. 9, Dehradun Road, Near Nirankari Bhawan, Village - Kumar Hera, Saharanpur - 247001, Uttar Pradesh

Tel: +91 8171000900; **Website:** https://horizonreclaim.com/ **E-mail id:** cs@horizonreclaim.com

Contact Person: Deeksha Thakral, Company Secretary and Compliance Officer;

PROMOTERS OF OUR COMPANY: MOHIT BAJAJ AND MALIKA BAJAJ

INITIAL PUBLIC OFFER OF UP TO 52,69,200* EQUITY SHARES OF FACE VALUE ₹ 10 EACH (THE "EQUITY SHARES") OF HORIZON RECLAIM (INDIA) LIMITED ("OUR COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT AN ISSUE PRICE OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE (INCLUDING SECURITIES PREMIUM OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE) ("ISSUE PRICE"), AGGREGATING UP TO ₹ [•] LAKHS (THE "ISSUE") OF WHICH 2,64,000 EQUITY SHARES AGGREGATING TO ₹ [•] LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER ("MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. ISSUE OF 50,05,200 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH AT AN ISSUE PRICE OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE AGGREGATING UPTO ₹ [•] LAKHS IS HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 27.00 % AND 25.65 % RESPECTIVELY OF THE POST-ISSUE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

**Subject to finalization of basis of allotment.*

THE OFFER IS BEING MADE THROUGH BOOK BUILDING PROCESS IN ACCORDANCE WITH CHAPTER IX OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018 AS AMENDED FROM TIME TO TIME (IPO OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES) AND THE EQUITY SHARES ARE PROPOSED TO BE LISTED ON SME PLATFORM OF BSE LIMITED (BSE SME)

THE EQUITY SHARES OF THE COMPANY WILL GET LISTED ON SME PLATFORM OF BSE. FOR THE PURPOSE OF THE OFFER, THE DESIGNATED STOCK EXCHANGE WILL BE BSE LIMITED.

CORRIGENDUM TO RED HERRING PROSPECTUS (RHP)

In reference to the Red Herring Prospectus dated June 05, 2026, On Page no. 49 of Red Herring Prospectus, changes are made under the chapter titled "The Issue". Thus, investors should note the following:

A. QIB Portion (4) (5)	Not more than 25,02,000 Equity Shares of face value of ₹10/- each fully paid up for cash at an offer Price of ₹ [•]/- per Equity Share each aggregating to ₹ [•] Lakhs
Of which	
i. Anchor Investor Portion	Upto 15,01,200 Equity Shares of face value of ₹ 10 each aggregating up to ₹ [•] Lakhs
ii. Net QIB Portion (assuming Anchor Investor Portion is fully subscribed)	Upto 10,00,800 Equity Shares of face value of ₹ 10 each aggregating up to ₹ [•] Lakhs

In reference to the Red Herring Prospectus dated June 05, 2026, On Page no. 78 of Red Herring Prospectus, changes are made under the chapter titled Capital Structure. Thus, investors should note the following:

21. Lock in of Equity Shares held by Promoters in excess of minimum promoters' contribution

Promoters' holding in excess of minimum promoters' contribution shall be locked-in as follows as provided in clause b) of Regulation 238 of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018:

i. fifty percent of promoters' holding in excess of minimum promoters' contribution being 43,73,300 equity shares shall be locked in for a period of two years from the date of allotment in the initial public offer; and

ii. remaining fifty percent of promoters' holding in excess of minimum promoters' contribution being 43,73,300 equity shares shall be locked in for a period of one year from the date of allotment in the initial public offer.

In reference to the Red Herring Prospectus dated June 05, 2026, On Page no. 157 of Red Herring Prospectus, changes are made under the chapter titled "Our Management". Thus, investors should note the following:

Shareholding of Directors in our Company

Our Articles of Association do not require our directors to hold any qualification shares. Except as stated below, none of our directors holds any Equity Shares of our Company as on the date of filing of this Red Herring Prospectus:

Sr. No.	Name of Director / Key Management Personnel	Number of Equity Shares	% of the pre-Issue Equity Share Capital
1)	Mohit Bajaj	1,07,26,880	75.30
2)	Malika Bajaj	19,22,800	13.50
	Total	**1,26,49,680**	**88.79**

In reference to the Red Herring Prospectus dated June 05, 2026, On Page no. 163 of Red Herring Prospectus, changes are made under the chapter titled "Our Management". Thus, investors should note the following:

Shareholding of the Key Managerial Personnel

Except below, none of the Key Management Personnel hold shareholding in our Company.

Sr.No.	Name of Director / Key Management Personnel	Number of Equity Shares	% of the pre-Issue Equity Share Capital
1)	Mohit Bajaj	1,07,26,880	75.30
2)	Malika Bajaj	19,22,800	13.50
	Total	**1,26,49,680**	**88.79**

In reference to the Red Herring Prospectus dated June 05, 2026, on page no. 104 of Red Herring Prospectus, changes are made under the chapter titled "Basis for Issue Price". Thus, investors should note the following:

d) Weighted average cost of acquisition, floor price and cap price.

Types of transactions	Weighted average cost of acquisition (₹ per Equity Share)	Floor Price	Cap Price
Since there were no primary or secondary transactions of equity shares of our Company during the 18 months preceding the date of filing of this Red Herring Prospectus, which are equal to or more than 5% of the fully diluted paid-up share capital of our Company, the information has been disclosed for price per share of our Company based on the last five secondary transactions where promoter /promoter group entities or Selling Shareholder or shareholder(s) having the right to nominate director(s) on our Board, are a party to the transaction, not older than three years prior to the date of filing of this Red Herring Prospectus irrespective of the size of the transaction.	103	[•]*	[•]*

** The details shall be provided post the fixing of price band by our Company at the stage of filing of price band advertisement.*

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the Red Herring Prospectus.

On behalf of Board of Directors
FOR, HORIZON RECLAIM (INDIA) LIMITED
Sd/-
Ms. Deeksha Thakral
Company Secretary & Compliance Officer

Place: Saharanpur, Uttar Pradesh, India
Date: June 08, 2026

Disclaimer: Horizon Reclaim (India) Limited is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offer of its Equity Shares and has filed the RHP with the Registrar of Companies, Uttar Pradesh II on June 05, 2026 and thereafter with SEBI and the Stock Exchange. Full copy of the Red Herring Prospectus is available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in , website of the Company at https://horizonreclaim.com/, the website of the BRLM to the Offer at: www.gyrcapitaladvisors.com, the website of BSE SME at https://www.bsesme.com/PublicIssues/RHP.aspx, respectively. Any potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, please refer to the RHP including the section titled "Risk Factors" beginning on page 23 of the Red Herring Prospectus.